HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14992/2026
CNR: RJHC020926482026 | URN: CRLMB / 27619U / 2026

Sain Mohit Tarachand S/o Tarachand, Aged About 18 Years, R/o Kutti Mohalla Kaman, Police Station Kaman, District Deeg. (At Present Confined In District Jail, Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14993/2026
CNR: RJHC020926212026 | URN: CRLMB / 27623U / 2026

1. Mustak S/o Idrish, Aged About 20 Years, R/o Radha Nagri, Police Station Kaman, District Deeg. (At Present In Sub Jail, Kaman, Deeg).
2. Arif S/o Sourap, Aged About 33 Years, R/o Dousras (Devseras) Police Station Goverdhan, District Mathura, State Uttar Pradesh. (At Present In Sub Jail, Kaman, Deeg).

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15164/2026
CNR: RJHC020931082026 | URN: CRLMB / 27989U / 2026

1. Liyakat Ali S/o Maksood, Aged About 24 Years, R/o Akata, Police Station Kaman, District Deeg. (At Present In Sub Jail, Kaman, Deeg)
2. Sahil S/o Maksood, Aged About 22 Years, R/o Akata, Police Station Kaman, District Deeg. (At Present In Sub Jail, Kaman, Deeg)

----Petitioners

Versus

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
09:53:37 IST

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15165/2026
CNR: RJHC020932352026 | URN: CRLMB / 27990U / 2026

Aamir Khan S/o Hukmuddin, Aged About 19 Years, R/o Abbas Colony, Kaman, Police Station Kaman, District Deeg. (At Present Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15366/2026
CNR: RJHC020939752026 | URN: CRLMB / 28387U / 2026

Momin S/o Jamshed, Aged About 20 Years, R/o Paldi Police Station Kaman District Deeg. (At Present Confined In District Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikram Singh Chauhan, Adv. Mr. Surendra Singh, Adv. Mr. Anoop Kumar, Adv. Mr. Liyakat Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

25/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना कामां, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **481/2026**

अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 112(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 में पेश किये गये हैं।

चूंकि उपरोक्त सभी जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उपरोक्त सभी जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। अभियुक्तगण करीब तीन माह से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, अतः प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

हस्तगत मामले में प्रार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध कुछ हजार रुपये की साईबर ठगी का अपराध कारित किये जाने का आरोप है। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. सेन मोहित ताराचन्द पुत्र ताराचन्द, 2. मुस्ताक पुत्र इदरीश, 3. आरिफ पुत्र सौराप, 4. लियाकत अली पुत्र मकसूद, 5. साहिल पुत्र मकसूद, 6. आमिर खान पुत्र हकमुद्दीन तथा 7. मोमिन पुत्र जमशेद** की ओर से पृथक–पृथक प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये

जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/25-29/DINESH KUMAWAT